

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 71 सन 2022

अनवाग :-

1. रामगर पुत्र मोमनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरी पत्नी रामकुमार जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर वादीगण

बनाम

1. मोमनराम उर्फ मोमनगर उर्फ मोमन पुत्र टीकू उर्फ टीकूराम उर्फ टीकूगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
2. शारदा पुत्री मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
3. शिला पुत्री मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
4. सीता पुत्री मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
5. प्रेमगिर पुत्र रामकुमार पुत्र मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रहलाद पुत्र रामकुमार पुत्र मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/2/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 78/81 की कुल 94720 हैक् में से 1/4 हिस्सा, रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 51/51 की कुल 119510 हैक् में से 1/4 हिस्सा, व खाता संख्या 88/89 की कुल 98010 हैक् में से 1972/9801 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें राजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी संख्या 2 के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिब्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता टीकूगिर पुत्र छतूगिर के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें सजरा खातदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिरा पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अफित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 78/81 की कुल 9.4720 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा, रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 51/51 की कुल 11.9510 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा, व खाता संख्या 88/89 की कुल 9.8010 हैक्टर में से 1972/9801 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी संख्या 2 के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को रथानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरन्तरण फरमावे।


उपजण्ड अधिकारी
बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 78/81 की कुल 9.4720 हैक् में से 1/4 हिस्सा, रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 51/51 की कुल 11.9510 हैक् में से 1/4 हिस्सा, व खाता संख्या 88/89 की कुल 9.8010 हैक् में से 1972/9801 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सन्वत् 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि टीकूगिर पुत्र छतूगिर के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के नाम से दर्ज है वादी के दादा टीकूगिर पुत्र छतूगिर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इक्याल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य समुत् एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य समुत् एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 78/81 की कुल 9.4720 हैक् में से 1/4 हिस्सा, रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 51/51 की कुल 11.9510 हैक् में से 1/4 हिस्सा, व खाता संख्या 88/89 की कुल 9.8010 हैक् में से 1972/9801 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिद के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राजासर बोडिया के खाता संख्या 194/164 की कुल 9.5900 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीव तकमील जाव्या दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (इन्सुनिगैड)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामगर पुत्र मोमनगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरी पत्नी रामकुमार जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर वादीगण

बनाम

1. मोमनराम उर्फ मोमनगर उर्फ मोमन पुत्र टीकू उर्फ टीकूराम उर्फ टीकूगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
2. शारदा पुत्री मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
3. शिला पुत्री मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
4. सीता पुत्री मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर
5. प्रेमगिर पुत्र रामकुमार पुत्र मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. प्रहलाद पुत्र रामकुमार पुत्र मोमनगिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 71 सन 2020 निर्णय दिनांक- 17/12/2022

आज यह वाद गुंज श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 78/81 की कुल 9.4720हैक्टर में से 1/4 हिस्सा, रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 51/51 की कुल 11.9510हैक्टर में से 1/4 हिस्सा, व खाता संख्या 88/89 की कुल 9.8010हैक्टर में से 1972/9801हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजान किया जाकर वादीगण बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राजासर दोडिया के खाता संख्या 194/164 की कुल 9.5900हैक्टर में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सालान 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर